an>

Title: Introduction of the Contempt of Courts (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of Section 1, etc.).

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरताव करता हूं कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Contempt of Courts Act, 1971."

The motion was adopted.

डॉ. संजय जायसवाल : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।